

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/ III - 263/.....493

दिनांक: 19/1/12

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

सेक्टर : 128

नोएडा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2011 संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत **पाकेट सं0 बी-45, PH-1 (क्लासिक - IB & ONGC) सेक्टर -134, नोएडा** में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन्स तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते है ।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL		
2.	COMMERCIAL	603.27	58.60
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	21.53	2.09
•	COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	HEALTH	20.81	2.02
•	INSTITUTIONAL	26.34	2.56
4.	RECREATIONAL	58.41	5.67
5.	ROADS AND TRANSPORATION	154.43	15.00
	TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE	144.75	14.06
	TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129	1029.55	100.00
	TOTAL LAND AREA	43.29	
		1072.84	

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
	Total	65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि $1072.84 + 65.08 = 1137.92$ एकड.
(46,05,100.00 वर्ग मी०)

- कन्सेशनर एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = 46,05,100 वर्ग मी०)
पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मी०
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134)
आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल = 24,41,347.073 वर्ग मी० (603.27 एकड.)
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40%
(वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार) = 9,76,538.820 वर्ग मी०
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08 में लिए गये के अनुरूप) = 48,82,694.146 वर्ग मी०

- अनुमन्य ऊँचाई = कोई सीमा नहीं
- पाकेट सं० बी 39 एवं 40 के लिए प्रस्तावित ऊँचाई = 62.00 मीटर

पाकेट सं० बी-45, PH-1 योजना के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं० बी-45 एवं छ-1 (वर्ग मी०)
भूतल (कम्युनिटी फैसिलिटी सहित)	5687.931
प्रथम तल	4398.618
द्वितीय तल	4398.618
तृतीय तल	4334.765
चतुर्थ तल	4341.365
पंचम तल	4341.365
छटवां तल	4341.365
सातवां तल	4334.765
आठवां तल	4341.365
नौवा तल	4341.365
दसवां तल	4341.365
ग्यारहवां तल	4334.765
बारवां तल	4341.365
तेरहवां तल	4341.365
चौदहवां तल	4341.365
पन्द्रहवां तल	4334.765
सोलहवां तल	4341.365
सत्रहवां तल	4341.365
अट्ठारवां तल	4341.365
उन्नीसवां तल	4334.765
कुल एफ.ए.आर.	88255.377
तहखाना (पार्किंग एवं सर्विसेज)	
तहखाना : प्रथम	18954.422
तहखाना : द्वितीय	19134.768
कुल क्षेत्रफल	38089.190
सेवा क्षेत्रफल	5975.169
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	132321.00

(Handwritten signatures and initials)

एफ0ए0आर0 विवरण-

Sl. No.	Description	Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Cum m. Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230		68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360		68,83,617.64
3.	Group Housing (Kalypso & Imperial Tower)	B1,B2 & B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655		65,59,989.345
4.	Group Housing (PH-1,PH-2,PH-3,PH-4,PT-1,PT-2,TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295		63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise Kalypso & Imperial Tower)	B1, B2 & B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)	62,86,860.627
6.	Group Housing (Aman)	Sector - 151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592		59,62,273.405
7.	Group Housing (Kosmos)	B-35, 36,37, 38,41 B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44		52,08,441.555
8.	Primary School (Revise)	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)	5205461.285
9.	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)	5200339.445
10.	Group Hosing (Klassic)	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94		5089755.055
11.	Group Housing (Klassic IB & ONGC)	B-45	Residential	----	88255.377	1906150.317		5001499.678
					1906150.317			

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 7090.00 वर्ग मी0

प्रस्तावित एफ0ए0आर0 = 88255.377 वर्ग मी0

Map for proposed Building is per Bye Laws. Submitted for approval, please.

Pl. Asstt.

Arch

Architect

नाम.....

पद.....

नौएडा

राजपाल कौशिक
मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा

प्रतिलिपि:

- मुख्य परियोजना अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
- विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
- मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/ III - 258/...575

दिनांक: 12-10-2012

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

सेक्टर : 128

नोएडा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2012 संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत **पाकेट सं0 बी - 45 (Klassic Shaurya)** सेक्टर - 134, नोएडा में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

17. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते हैं।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRICTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL	603.27	58.60
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	COMMUNITY FACILITIES	20.81	2.02
•	HEALTH	26.34	2.56
•	INSTITUTIONAL	58.41	5.67
4.	RECREATIONAL	154.43	15.00
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE		1029.55	100.00
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129		43.29	
TOTAL LAND AREA		1072.84	

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRICTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
Total		65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि $1072.84 + 65.08 = 1137.92$ एकड
(46,05,100.00 वर्ग मी०)

- कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = 46,05,100.00 वर्ग मी०) पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मी०
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134) आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल = 24,41,347.073 वर्गमी० (603.27एकड.)

- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% (वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार)

= 9,76,538.820 वर्ग मी०

- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08 में लिए गये के अनुरूप

= 48,82,694.146 वर्ग मी०

- अनुमन्य ऊँचाई = कोई सीमा नहीं
- पाकेट सं० B- 45 (Klassic Shaurya) के लिए प्रस्तावित ऊँचाई = 51.6 मीटर

कार्यदायी संस्था द्वारा पाकेट सं० बी – 45 (Klassic Shaurya) के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं० बी – 45 (Klassic Shaurya) (वर्ग मी०)
भूतल	2934.622
प्रथम तल	2732.352
द्वितीय तल	2638.572
तृतीय तल	2572.713
चतुर्थ तल	2572.713
पंचम तल	2572.713
छटवां तल	2572.713
सातवां तल	2572.713
आठवां तल	2572.713
नौवां तल	2572.713
दसवां तल	2572.713
ग्यारहवां तल	2572.713
बारवां तल	2572.713
तेरहवां तल	2572.713
चौदहवांतल	2683.561
कुल एफ.ए.आर.	39288.947
तहखाना	11911.855
तहखाना : प्रथम	11684.517
तहखाना : द्वितीय	23596.371
कुल क्षेत्रफल	
सेवा क्षेत्रफल	3426.371
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	66311.689

एफ०ए०आर० विवरण-

Sl. No.	Description	Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230	68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360	68,83,617.64
3.	Group Housing Kalypso & Imperial Tower	B1/B2/B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655	65,59,989.345
4.	Group Housing (PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PT-1, PT-2, TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295	63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise)	B1, B2, B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)



6.	Group Housing Aman	151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592		59,62,273.405
7.	Group Housing Kosmos	B-35, 36,37,38, 41B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44		52,08,441.555
8.	Primary School revised	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)	5205461.285
9.	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)	5200339.445
10.	Group Hosing Klassic	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94		5089755.055
11.	Group Hosing Klassic IB & ONGC	B-45	Residential	19.01.12	88255.377	1906150.317		4939516.118
12.	Group Hosing Knight Court	B-5	Residential	19.01.12	70085.67	1976235.987		4931414.008
13.	Group Hosing Klassic	B-41A and B-42	Residential	02.03.12	153121.255	2129357.242		4778292.753
14.	Group Hosing Kensington Park & Boulevard	B-12,13,14, 15,16,17 & 18	Residential	26.03.12	500017.74	2629374.982		4278275.013
15.	Group Hosing Klassic Heights	B-34A	Residential		112407.13	2741782.112		4165867.883
16.	Group Hosing Kasa Isles	B-44	Residential		206603.10	2948385.212		3959264.783
17.	Group Hosing Augusta Townhomes	B-6 and B-7	Residential		21692.23	2970077.442		3937572.553
18.	Group Hosing Klassic Shaurya	B-45	Residential		39288.947	3009366.389		3898283.606
					3009366.389			

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल

=

3975.218 वर्ग मी०

प्रस्तावित एफ०ए०आर०

=

39288.947 वर्ग मी०

Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for approval please.

P. Asstt.

Asstt. Arch.

Architect

नाम.....

पद.....

नोएडा

श्री० ए० देवपुजारी
मुख्य वास्तुविद नियंत्रक
नोएडा

प्रतिलिपि:

1. मुख्य अनुस्क्षण अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
2. तहसीलदार (ए), नौएडा को सूचनार्थ ।
3. मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।